भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1857

03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों से भारतीयों के पार्थिव शरीरों को भारत लाना

1857. **श्री पी.के. कुनहलिकुट्टीः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या सरकार ने विदेशों से भारतीयों को पार्थिव शरीर को भारत में उनके गृहनगर तक पहुंचाने के लिए कदम उठाये हैं; और

(**ख**) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) जी, हाँ महोदय। सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से भारतीयों के पार्थिव शरीर को विदेश से भारत में उनके गृह निवास तक लाने में हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है।

हमारे मिशन/केन्द्र मृतक के परिवार की इच्छा और स्थानीय विनियमों के अनुसार पार्थिव शरीर को वापस भेजने अथवा स्थानीय स्तर पर ही दफनाने/दाह-संस्कार कर दिए जाने की सुविधा के लिए मृत भारतीय नागरिक के निकटतम परिजन के नियमित संपर्क में रहते हैं। हमारे मिशन/केन्द्र पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस भेजने तथा मृतक के परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित विदेशी प्रायोजकों एवं अधिकारियों के साथ भी सक्रीय रूप से संपर्क करते हैं।

भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) के तहत साधन परीक्षित आधार पर उपयुक्त मामलों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से वापस लाने के लिए मृत भारतीय नागरिक के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 से 31 मई, 2019 तक 125 देशों से 14,132 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस भारत लाया गया है।

***